

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख 1940 (श0) (सं0 पटना 437) पटना, मंगलवार, 15 मई 2018

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

11 मई 2018

सं० एल०जी०-01-05/2018-31 लेज।— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 20 अप्रील 2018 को अनुमित दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार –राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 5, 2018]

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2018

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान—मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- 1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** I—(1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा।
 - (2). इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
- 2. बिहार अधिनियम 21, 2017 की धारा—11 का संशोधन । —बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 की धारा— 11 की उपधारा (1) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा :—

"परंतु इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् भी, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर सहायक प्राचार्य के पद पर वर्तमान में की जा रही नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ही पूर्ण की जाएगी।"

> बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।

11 मई 2018

सं० एल0जी0-01-03/2018/32/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामिहम राज्यपाल द्वारा विनांक 20 अप्रील 2018 को अनुमत बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 का निम्निलिखत अंग्रेजी अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद—348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार , सरकार के संयुक्त सचिव।

[BIHAR ACT 5 OF 2018]

Bihar State University Service Commission (Amendment) Act, 2018

AN

ACT

to amend Bihar State University Service Commission Act 2017 (Bihar Act 21, 2017)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty ninth year of the Republic of India as follows—

- **1.** *Short title*, *extent and commencement*.— (1) This Act may be called the Bihar State University Service Commission (Amendment) Act, 2018.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 - (3) It shall come in force with effect from the date, which the State Government, by notification, may fix.

2. Amendment in section-11 of Bihar Act 21, 2017.—The following proviso shall be added after sub section (1) of Section-11 of the Bihar Act 21, 2017.

"Provided that at present on going appointment process to the post of Assistant Professors on the basis of the advertisements already published by the Bihar Public Service Commission shall be completed only by the Bihar Public Service Commission.".

By order of the Governor of Bihar, MANOJ KUMAR, Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 437-571+400-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in